संख्या-46/2024/97/22-2-2024-17(49)/2024

प्रेषक,

मदन मोहन,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल, 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बार पुत्र श्री सिद्दीक, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-1650/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024) दिनांक-16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बार पुत्र श्री सिद्दीक, खेडिया, थाना-एका, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपटटे से लटका दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण 682/2004 में भा0द0वि0 की धारा-363, 302/34, 201, 376(2)(जी) के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08, एटा के आदेश दिनांक 13.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, द्वारा दिनांक 03.12.2023 तक 17 वर्ष, 02 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष, 07 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की आयु करीब 48 वर्ष होने व बलात्कार जैसे अपराध से संबंधित है बन्दी द्वारा गवाहों को डराये धमकाये जाने तथा पुनः अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के जेल से बाहर आने पर गवाहों को डराये धमकाये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कारागार में निरूद्ध रखना आवश्यक होने, आर्थिक स्थिति सामान्य होने व सामाजिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपटटे से लटका देने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सब्बार पुत्र सिद्दीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बार (बन्दी संख्या--21137) पुत्र श्री सिद्दीक, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-46/2024/97(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका संख्या-276/2023 रामपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-46/2024/97/22-2-2024-17(49)/2024

दिनांक 10 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बार पुत्र श्री सिद्दीक, खेडिया, थाना-एका, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपटटे से लटका दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण 682/2004 में भा0द0वि0 की धारा-363, 302/34, 201, 376(2)(जी) के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08, एटा के आदेश दिनांक 13.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, द्वारा दिनांक 03.12.2023 तक 17 वर्ष, 02 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष, 07 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की आयु करीब 48 वर्ष होने व बलात्कार जैसे अपराध से संबंधित है बन्दी द्वारा गवाहों को डराये धमकाये जाने तथा पुनः अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के जेल से बाहर आने पर गवाहों को डराये धमकाये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कारागार में निरूद्ध रखना आवश्यक होने, आर्थिक स्थिति सामान्य होने व सामाजिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपटटे से लटका देने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सब्बार पुत्र सिद्दीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in